प्रैस विज्ञप्ति

हाल में आधार नंबर न होने अथवा पीओएस आदि पर प्रमाणीकरण न होने से पात्र राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न देने से कथित रूप से इन्कार करने के कारण भुखमरी से मौत होने के बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं।

हाल में, उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले से प्राप्त रिपोर्ट के मामले में राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक के पास अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड था और उसे माह अक्तूबर, 2017 तक नियमित रूप से खाद्यान्न मिले थे। राज्य सरकार की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि अगस्त और सितम्बर, 2017 माह में बिना आधार आधारित प्रमाणीकरण के उनके पति ने खाद्यान्न लिए थे और अक्तूबर, 2017 माह में उन्होंने आधार प्रमाणीकरण के बाद स्वयं खाद्यान्न लिए थे।

यहां यह उल्लेख करने की जरूरत है कि देश में 5.2 लाख उचित दर दुकानें हैं और इनमें 23.2 करोड़ राशन कार्डों के प्रति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन 80.7 करोड़ व्यक्ति कवर होते हैं। 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 2.83 लाख उचित दर दुकानों में बिक्री संबंधी लेन-देन की इलेक्ट्रानिक कैप्चरिंग के लिए पीओएस उपकरण हैं। इसके अलावा, राज्य राशन कार्डों में आधार नंबर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक 81 प्रतिशत राशन कार्डों में परिवार के कम से कम एक व्यक्ति के आधार नंबर की सीडिंग करने की सूचना प्राप्त हुई है। आधार नंबर की सीडिंग करने का लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन प्रदान किए गए खाद्यान्नों को सही रूप से लक्षित करने हेतु लाभार्थियों की बायो-मैट्रिक पहचान करना है। तथापि, यह नोट किया जाए कि अक्तूबर, 2017 माह में भी 47 प्रतिशत पीओएस लेन-देन बिना आधार आधारित प्रमाणीकरण के करने की सूचना मिली है जिससे स्पष्ट रूप से यह इंगित होता है कि राज्य सरकारें आधार आधारित पहचान न होने पर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लाभ देने से इनकार न करने के बारे में दिशा-निर्देशों को लागू कर रही हैं।

भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पीओएस आधारित आधार प्रमाणीकरण प्रणाली में परिवर्तन होने सम्बन्धी चुनौतियों की पूर्ण जानकारी है। अत: उसने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट अनुदेश जारी किए हैं कि यद्यपि आधार आधारित प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन कोई भी पात्र लाभार्थी आधार नंबर न होने अथवा बायो-मैट्रिक प्रमाणीकरण के विफल होने से खाद्यान्नों की पात्र मात्रा से वंचित न रहे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 30 जून, 2017 तक राशन कार्ड डाटा बेस में परिवार के कम से कम एक सदस्य के आधर नंबर की सीडिंग करने के लिए दिनांक 08.02.2017 के सा.आ.

सं. 371(अ) द्वारा अधिसूचना जारी की थी। अनुपालन की तारीख को 30 सितम्बर, 2017 तक और बढ़ाया गया था और इसे पुन: 31 दिसम्बर, 2017 तक बढ़ा दिया गया था। दिनांक 8 फरवरी, 2017 की उक्त अधिसूचना के पैरा-5 में यह स्पष्ट किया गया है कि पात्र परिवार का कोई भी सदस्य, जो पहचान की आवश्यकता को पूर्ण करता हो, इस बात का ध्यान किए बिना कि परिवार के सभी सदस्यों को आधर नंबर दे दिया गया है, परिवार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की पात्र मात्रा अथवा खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। भारत सरकार ने फरवरी, 2017 माह में जारी अधिसूचना में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को दोहराते हुए अक्तूबर, 2017 में विस्तृत अनुदेश जारी किए थे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि नेटवर्क/ कनेक्टीविटी/लिंकिंग मुद्दों के कारण अथवा लाभार्थियों की खराब बायो-मैट्रिक या किसी अन्य तकनीकी कारण की वजह से बायो-मैट्रिक प्रमाणीकरण नहीं होता है तो लाभार्थी को आधार अधिनियम की धारा-7 द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार बायो-मैट्रिक प्रमाणीकरण के स्थान पर उसके द्वारा राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड भौतिक रूप से प्रस्तुत करने के आधार पर राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान करने होते हैं अथवा खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण किया जाना होता है।

इस संदर्भ में यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों और शिकायत निवारण तंत्र की मानीटरिंग करने के लिए व्यापक संस्थागत तंत्र लागू किया हुआ है। केंद्रीय सरकार भी अधिक कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार आधारित प्रमाणीकरण की नई प्रणाली सुचारू और बेजोड़ रूप से लागू करने से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।